दिनांक 11.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 18/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सोशल मीडिया पर शाहजहांपुर में आतंकी हमले से संबंधित भ्रामक पोस्ट करने वाले 03 विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट के विरुद्ध कार्यवाही

माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत भारतीय सेना द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री प्रशान्त कुमार** द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को भ्रामक पोस्ट करने, अफवाह फैलाने वालों के प्रति निरन्तर निगरानी करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए थे । उक्त निर्देशों के क्रम में सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को फायरिंग एवं धमाकों की आवाज से सम्बन्धित एक ऐसी वीडियो प्राप्त हुई जिसको जनपद शाहजहांपुर का बताकर यह प्रचारित किया जा रहा था कि जनपद शाहजहांपुर में आतंकी हमला हुआ है जिसकी जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि जनपद शाहजहांपुर में ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। उपरोक्त भ्रामक पोस्ट का उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट से भी खण्डन कराया गया है ।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर इस प्रकार की भ्रामक पोस्ट करने वाले 03 सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित करके उसके विरुद्ध दिनॉकः 11.05.2025 को कोतवाली, शाहजहांपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है जिनका विवरण निम्नवत है :–

1– Parvinda @parvinda.2023 (Facebook)

2– Ankit Kumar @ankit_kumar71010 (Instagram)

3– आदित्य भैया सांसद बदायूं के नाम से बनाई गई फेक आई.डी. (Facebook)

उल्लेखनीय है कि आदित्य भैया सांसद बदायूं के नाम से किसी अज्ञात के द्वारा बदायूं के सांसद श्री आदित्य यादव के नाम से फेक आई.डी. बनाकर संचालित की जा रही थी, जिसके सम्बन्ध में श्री आदित्य यादव की शिकायत पर जनपद बदायूं के थाना सिविल लाइंस में अलग से अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

''सभी से अपील है कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत कृपया तथ्यों को सत्यापित किये बिना सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी भ्रामक पोस्ट न करें, जिससे जनमानस के मन में भय व्याप्त हो अथवा भारतीय सेना के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भ्रामक पोस्ट करने, अफवाह फैलाने वालों एवं साइबर अपराध के प्रति निरन्तर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म की 24X7 मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी सूचना, घटना, फ़ोटो अथवा वीडियो का सत्यापन उत्तर प्रदेश पुलिस के फैक्ट चेक अकाउंट से किया जा सकता है।''

श्री प्रशान्त कुमार,

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

दिनांक 11.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 19/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गाजीपुर/थाना करण्डा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11.05.2025 को थाना करण्डा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमुआंव मोड़ पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभिषेक उर्फ गोलू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना करण्डा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना करण्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभिषेक उर्फ गोल निवासी कोटिया धम्मपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद देवरिया/थाना भटनी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 10.05.2025 को थाना भटनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम चॉदपुर (अन्डर पास के पीछे) से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भटनी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भटनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय कुमार निवासी ग्राम बैदौली बुजुर्ग थाना बनकटा जनपद देवरिया।

जनपद चन्दौली/थाना चकिया

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 10.05.2025 को थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिकन्दरपुर पोखरे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहिद अफरीदी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद चन्दौली, भदोही, मीरजापुर के विभिन्न थानों पर सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चकिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहिद अफरीदी निवासी ग्राम चितौडी थाना बबुरी जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फतेहपुर/थाना सुल्तानपुर घोष

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटी गयी स्विफ्ट कार**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **02 मोबाइल फोन, नगद रूपये**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11.05.2025 को थाना सुल्तानपुर घोष, थाना थरियांव, थाना हथगांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नौबस्ता के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—करन सिंह उर्फ पिन्टू 2—कृष्णा घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3—मंजीत सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी स्विफ्ट कार, घटना में प्रयुक्त कार, 02 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना थरियांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना थरियांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—करन सिंह उर्फ पिन्टू निवासी संदीपनगर सनगॉव रोड थाना चकेरी, कानपुर नगर।

2—कृष्णा निवासी चिस्ती नगर थाना चकेरी, कानपुर नगर।

3–मंजीत निवासी ग्राम भौली थाना अमगेन जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–लूटी गयी स्विफ्ट कार।

2–घटना में प्रयुक्त कार।

3–02 मोबाइल फोन, नगद रूपये।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद इटावा/थाना फ्रेड्स कालोनी

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी का 01 लाइसेन्सी पिस्टल**
- **87 हजार 320 रूपये नगद**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर , 12 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **94 जीवित कारतूस 0.32 बोर**
- **02 ऑटो वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 10/11.05.2025 की रात्रि थाना फ्रेंड्स कालोनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर की पटरी के किनारे जामुन की बगिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रोहित उर्फ बन्टी घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–दीपक 3–रामनरेश उर्फ कल्लू सहित गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर अभियुक्त 4–सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी का 01 लाइसेन्सी पिस्टल, 87 हजार 320 रूपये नगद, 04 अवैध तमंचा

315 बोर, 12 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 94 जीवित कारतूस 0.32 बोर, 02 ऑटो वाहन आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना फ्रेंड्स कालोनी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फ्रेंड्स कालोनी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त रामनरेश के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग, अभियुक्त रोहित के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त दीपक के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेंडस कालोनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित उर्फ बन्टी निवासी कुंज फाटक मण्डी कहारन थाना कोतवाली जनपद इटावा।

2–दीपक निवासी मोहल्ला करनपुरा थाना कोतवाली इटावा

3–रामनरेश निवासी मुरैथा थाना इकदिल जनपद इटावा।

4–सुनील निवासी नखासा थाना कोतवाली जनपद इटावा।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी का 01 लाइसेन्सी पिस्टल।

3–87 हजार 320 रूपये नगद।

4–04 अवैध तमंचा 315 बोर , 12 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

5–94 जीवित कारतूस 0.32 बोर।

6–02 ऑटो वाहन आदि।

जनपद कन्नौज/थाना छिबरामऊ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **लगभग 06 लाख 18 हजार रूपये (कीमत) के चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **23 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 11.05.2025 को थाना छिबरामऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फर्रूखाबाद चौराहा से फर्रूखाबाद जाने वाले रोड से 02 अभियुक्तों 1–आमिर 2–जुबेर को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख 18 हजार रूपये (कीमत) के चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 23 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना छिबरामऊ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छिबरामऊ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छिबरामऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमिर निवासी इन्द्रा आवास कालोनी छिबरामऊ थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

2–जुबेर निवासी इन्द्रा आवास कालोनी छिबरामऊ थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख 18 हजार रूपये (कीमत) के चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–23 हजार रूपये नगद।

जनपद आजमगढ़/थाना देवगांव

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **21 हजार 350 रूपये नगद**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **चोरी के मोटर साइकिल के खुले पार्ट**
- **चोरी के 03 मोबाइल फोन**
- **डीजे का लाईट व मशीन आदि बरामद**

दिनॉकः 11.05.2025 को थाना देवगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 06 अभियुक्तों 1—शिवाजी उर्फ चर्चितनाथ 2—देवा उर्फ विपिन 3—आनन्द उर्फ मुलायम 4—प्रत्यांशु उर्फ भोला 5—अभिषेक कुमार 6—गोपी को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 21 हजार 350 रूपये नगद, चोरी की 05 मोटर साइकिल, चोरी के मोटर साइकिल के खुले पार्ट, चोरी के 03 मोबाइल फोन, डीजे का लाईट व मशीन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना देवगांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवगांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना देवगांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवाजी उर्फ चर्चितनाथ निवासी ग्राम बधौना थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

2—देवा उर्फ विपिन निवासी ग्राम चिल्लुपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

3—आनन्द उर्फ मुलायम निवासी करसड़ा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

4—प्रत्यांशु उर्फ भोला निवासी बेला थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

5—अभिषेक कुमार निवासी हैबतपुर डुभाव थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

6—गोपी निवासी पवनी खुर्द थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—21 हजार 350 रूपये नगद।

2—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

3—चोरी के मोटर साइकिल के खुले पार्ट।

4—चोरी के 03 मोबाइल फोन।

5—डीजे का लाईट व मशीन आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रसूलपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 78 लाख (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 178 किलो 260 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनॉक:11.05.2025 को थाना रसूलपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सर्विस रोड पर रेलवे की खाली पड़ी जमीन से अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 78 लाख (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 178 किलो 260 ग्राम अवैध गांजा, 01 ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिनेश निवासी भील नगर थाना सकरौली जनपद एटा।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 78 लाख (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 178 किलो 260 ग्राम अवैध गांजा।

2—01 ट्रक।

कमिश्नरेट आगरा थाना ट्रांस यमुना

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (कीमत) के 191 किलो 680 ग्राम अवैध गांजा**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 10.05.2025 को थाना ट्रांस यमुना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच–02 के सर्विस रोड से 03 अभियुक्तों 1–मोनू 2–प्रमोद 3–दीपू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (कीमत) के 191 किलो 680 ग्राम अवैध गांजा, 03 मोबाइल फोन, 02 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त कन्टेनर वाहन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रांस यमुना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोनू निवासी मोहन कालोनी धौलपुर थाना निहालगंज जनपद धौलपुर, राजस्थान।

2–प्रमोद निवासी गढ़ी जीवन राम टेडी बगिया थाना ट्रांसयमुना , कमिश्नरेट आगरा।

3–दीपू निवासी हार कुटयानी थाना जौरा जनपद मुरेना, म0प्र0।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (कीमत) के 191 किलो 680 ग्राम अवैध गांजा।

2–03 मोबाइल फोन।

3–02 हजार रूपये नगद।

4–घटना में प्रयुक्त कंटेर वाहन आदि।

————————